

## आदेश

श्री अजमेर सिंह, उप अधीक्षक, जिला रोजगार कार्यालय, फतेहाबाद को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त कर्मचारी को दिनांक 31.7.12 को बाद दोपहर सेवानिवृत्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

दिनांक 25.7.12

डा0 महावीर सिंह  
महा निदेशक, रोजगार विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 क्रमांक ए-49(480)/ 14386-94

दिनांक 26 7-12

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. श्री अजमेर सिंह, उप अधीक्षक, जिला रोजगार कार्यालय, फतेहाबाद ।
2. पंजीकृत: जिला रोजगार अधिकारी, फतेहाबाद ।
3. मंडल रोजगार अधिकारी, हिसार ।
4. महालेखाकार, हरियाणा, चंडीगढ़ ।
5. निदेशालय की स्थापना शाखा के सहायक-4
6. निदेशालय की स्थापना शाखा के सहायक-5
7. निदेशालय की शाखा बी ।
8. प्रोग्रामर, रोजगार निदेशालय, हरियाणा, चंडीगढ़ ।
9. कर्मचारी की निजी फाईल हेतू

  
कृते: महा निदेशक